

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक एफ.10() (आम चुनाव) डीएलबी/21/ 2770

दिनांक: 3/11/2021

अधिसाधी अधिकारी,
नगरपालिका,
बामनवास (सवाईमाधोपुर)।

विषय :- वार्डों के प्रारूप के अनुमोदन पश्चात् अन्तिम प्रकाशन के संबंध में।

नगरपालिका चुनावों के संदर्भ में आप द्वारा प्रेषित नगरपालिका बामनवास जिला सवाईमाधोपुर के वार्डों का परिसीमांकन संबंधी प्रारूप एवं उन पर प्राप्त आपत्तियों के संबंध में टिप्पणियों पर विचार के उपरान्त आप द्वारा प्रस्तावित वार्डों के परिसीमांकन प्रारूप को राज्य सरकार ने अनुमोदित कर दिया है। राजस्थान नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के अनुसार इन आदेशों का प्रकाशन राजपत्र में कराये जाने हेतु इसे निदेशक/अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को प्रकाशनार्थ भिजवाया जा रहा है। अतः चुनाव के संबंध में अग्रिम कार्यवाही राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार की जावे।

- संलग्न:- 1. आदेश की प्रति।
2. प्रपत्र- क, ख, ग एवं नक्शा

(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट संयुक्त सचिव

क्रमांक एफ.10() (आम चुनाव) डीएलबी/21/ 2771-2776 दिनांक: 3/11/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त, भरतपुर राजस्थान।
3. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय जयपुर।
4. जिला कलक्टर/जिला निर्वाचन अधिकारी, सवाईमाधोपुर को भेजकर निवेदन है कि संबंधित अधिसाधी अधिकारी नगर पालिका बामनवास (सवाईमाधोपुर) को वार्ड परिसीमांकन प्रस्ताव का नियमानुसार मिलान किया जाकर राज. राजपत्र में प्रकाशन कराया जाना सुनिश्चित कर अनुपालना रिपोर्ट से सचिव राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय को शीघ्र अवगत कराने हेतु निदेशित किया जावे।
5. निदेशक/अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राज. जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशन करने हेतु उक्त नगरीय निकाय के अनुमोदित आदेश मय प्रपत्र क, ख, एवं नक्शा की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

दिनांक: 3/11/2021

क्रमांक एफ.10() (आम चुनाव) डीएलबी/21/2730

अधिशायी अधिकारी,
नगरपालिका,
भोपालगढ (जोधपुर)।

विषय :- वार्डों के प्रारूप के अनुमोदन पश्चात् अन्तिम प्रकाशन के संबंध में।

नगरपालिका चुनावों के संदर्भ में आप द्वारा प्रेषित नगरपालिका भोपालगढ जिला जोधपुर के वार्डों का परिसीमांकन संबंधी प्रारूप एवं उन पर प्राप्त आपत्तियों के संबंध में टिप्पणियों पर विचार के उपरान्त आप द्वारा प्रस्तावित वार्डों के परिसीमांकन प्रारूप को राज्य सरकार ने अनुमोदित कर दिया है। राजस्थान नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के अनुसार इन आदेशों का प्रकाशन राजपत्र में कराये जाने हेतु इसे निदेशक/अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को प्रकाशनार्थ भिजवाया जा रहा है। अतः चुनाव के संबंध में अग्रिम कार्यवाही राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार की जावे।

संलग्न:- 1. आदेश की प्रति।
2. प्रपत्र- क, ख, ग एवं नक्शा

(दीपक मन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट संयुक्त सचिव

क्रमांक एफ.10() (आम चुनाव) डीएलबी/21/2731-2736 दिनांक: 3/11/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त, जोधपुर राजस्थान।
3. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय जयपुर।
4. जिला कलक्टर/जिला निर्वाचन अधिकारी, जोधपुर को भेजकर निवेदन है कि संबंधित अधिशायी अधिकारी नगर पालिका भोपालगढ (जोधपुर) को वार्ड परिसीमांकन प्रस्ताव का नियमानुसार मिलान किया जाकर राज. राजपत्र में प्रकाशन कराया जाना सुनिश्चित कर अनुपालना रिपोर्ट से सचिव राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय को शीघ्र अवगत कराने हेतु निदेशित किया जावे।
5. निदेशक/अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राज. जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशन करने हेतु उक्त नगरीय निकाय के अनुमोदित आदेश मय प्रपत्र क, ख, एवं नक्शा की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

d/All letter mu.

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक एफ.10() (आम चुनाव) डीएलबी/21/2754

दिनांक: 3/11/2021

अधिशायी अधिकारी,
नगरपालिका,
मण्डावरी (दौसा)।

विषय :- वार्डों के प्रारूप के अनुमोदन पश्चात् अन्तिम प्रकाशन के संबंध में।

नगरपालिका चुनावों के संदर्भ में आप द्वारा प्रेषित नगरपालिका मण्डावरी जिला दौसा के वार्डों का परिसीमांकन संबंधी प्रारूप एवं उन पर प्राप्त आपत्तियों के संबंध में टिप्पणियों पर विचार के उपरान्त आप द्वारा प्रस्तावित वार्डों के परिसीमांकन प्रारूप को राज्य सरकार ने अनुमोदित कर दिया है। राजस्थान नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के अनुसार इन आदेशों का प्रकाशन राजपत्र में कराये जाने हेतु इसे निदेशक/अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को प्रकाशनार्थ भिजवाया जा रहा है। अतः चुनाव के संबंध में अग्रिम कार्यवाही राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार की जावे।

- संलग्न:- 1. आदेश की प्रति।
2. प्रपत्र- क, ख, ग एवं नक्शा

(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट संयुक्त सचिव

क्रमांक एफ.10() (आम चुनाव) डीएलबी/21/2755-2760 दिनांक: 3/11/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर राजस्थान।
3. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय जयपुर।
4. जिला कलक्टर/जिला निर्वाचन अधिकारी, दौसा को भेजकर निवेदन है कि संबंधित अधिशायी अधिकारी नगर पालिका मण्डावरी (दौसा) को वार्ड परिसीमांकन प्रस्ताव का नियमानुसार मिलान किया जाकर राज. राजपत्र में प्रकाशन कराया जाना सुनिश्चित कर अनुपालना रिपोर्ट से सचिव राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय को शीघ्र अवगत कराने हेतु निदेशित किया जावे।
5. निदेशक/अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राज.जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशन करने हेतु उक्त नगरीय निकाय के अनुमोदित आदेश मय प्रपत्र क, ख, एवं नक्शा की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक एफ.10() (आम चुनाव) डीएलबी/21/2746

दिनांक: 3/11/2021

अधिसाषी अधिकारी,
नगरपालिका,
जावाल (सिरौही)।

विषय :- वार्डों के प्रारूप के अनुमोदन पश्चात् अन्तिम प्रकाशन के संबंध में।

नगरपालिका चुनावों के संदर्भ में आप द्वारा प्रेषित नगरपालिका जावाल जिला सिरौही के वार्डों का परिसीमांकन संबंधी प्रारूप एवं उन पर प्राप्त आपत्तियों के संबंध में टिप्पणियों पर विचार के उपरान्त आप द्वारा प्रस्तावित वार्डों के परिसीमांकन प्रारूप को राज्य सरकार ने अनुमोदित कर दिया है। राजस्थान नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के अनुसार इन आदेशों का प्रकाशन राजपत्र में कराये जाने हेतु इसे निदेशक/अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को प्रकाशनार्थ भिजवाया जा रहा है। अतः चुनाव के संबंध में अग्रिम कार्यवाही राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार की जावे।


संलग्न:- 1. आदेश की प्रति।
2. प्रपत्र- क, ख, ग एवं नक्शा


(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट संयुक्त सचिव

क्रमांक एफ.10() (आम चुनाव) डीएलबी/21/2746-2752 दिनांक: 3/11/2021
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त, जोधपुर राजस्थान।
3. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय जयपुर।
4. जिला कलक्टर/जिला निर्वाचन अधिकारी, ~~अजमेर~~ ^{सिरौही} को भेजकर निवेदन है कि संबंधित अधिसाषी अधिकारी नगर पालिका जावाल (सिरौही) को वार्ड परिसीमांकन प्रस्ताव का नियमानुसार मिलान किया जाकर राज. राजपत्र में प्रकाशन कराया जाना सुनिश्चित कर अनुपालना रिपोर्ट से सचिव राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय को शीघ्र अवगत कराने हेतु निर्देशित किया जावे।
5. निदेशक/अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राज. जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशन करने हेतु उक्त नगरीय निकाय के अनुमोदित आदेश मय प्रपत्र क, ख, एवं नक्शा की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
6. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक एफ.10() (आम चुनाव) डीएलबी/21/2738

दिनांक: 3/11/2021

अधिशायी अधिकारी,
नगरपालिका,
सुल्तानपुर (कोटा)।

विषय :- वार्डों के प्रारूप के अनुमोदन पश्चात् अन्तिम प्रकाशन के संबंध में।

नगरपालिका चुनावों के संदर्भ में आप द्वारा प्रेषित नगरपालिका सुल्तानपुर जिला कोटा के वार्डों का परिसीमांकन संबंधी प्रारूप एवं उन पर प्राप्त आपत्तियों के संबंध में टिप्पणियों पर विचार के उपरान्त आप द्वारा प्रस्तावित वार्डों के परिसीमांकन प्रारूप को राज्य सरकार ने अनुमोदित कर दिया है। राजस्थान नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के अनुसार इन आदेशों का प्रकाशन राजपत्र में कराये जाने हेतु इसे निदेशक/अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को प्रकाशनार्थ भिजवाया जा रहा है। अतः चुनाव के संबंध में अग्रिम कार्यवाही राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार की जावे।

- संलग्न:- 1. आदेश की प्रति।
2. प्रपत्र- क, ख, ग एवं नक्शा

(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट संयुक्त सचिव

क्रमांक एफ.10() (आम चुनाव) डीएलबी/21/2738-2744 दिनांक: 3/11/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त, कोटा राजस्थान।
3. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय जयपुर।
4. जिला कलक्टर/जिला निर्वाचन अधिकारी, कोटा को भेजकर निवेदन है कि संबंधित अधिशायी अधिकारी नगर पालिका सुल्तानपुर (कोटा) को वार्ड परिसीमांकन प्रस्ताव का नियमानुसार मिलान किया जाकर राज. राजपत्र में प्रकाशन कराया जाना सुनिश्चित कर अनुपालना रिपोर्ट से सचिव राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय को शीघ्र अवगत कराने हेतु निर्देशित किया जावे।
5. निदेशक/अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राज.जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशन करने हेतु उक्त नगरीय निकाय के अनुमोदित आदेश मय प्रपत्र क, ख, एवं नक्शा की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय मोथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

दिनांक: 3/11/2021

क्रमांक एफ.10() (आम चुनाव) डीएलबी/21/2681

अधिसाषी अधिकारी,
नगरपालिका,
लक्ष्मणगढ (अलवर)।

विषय :- वार्डों के प्रारूप के अनुमोदन पश्चात् अन्तिम प्रकाशन के संबंध में।

नगरपालिका चुनावों के संदर्भ में आप द्वारा प्रेषित नगरपालिका लक्ष्मणगढ जिला अलवर के वार्डों का परिसीमांकन संबंधी प्रारूप एवं उन पर प्राप्त आपत्तियों के संबंध में टिप्पणियों पर विचार के उपरान्त आप द्वारा प्रस्तावित वार्डों के परिसीमांकन प्रारूप को राज्य सरकार ने अनुमोदित कर दिया है। राजस्थान नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के अनुसार इन आदेशों का प्रकाशन राजपत्र में कराये जाने हेतु इसे निदेशक/अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को प्रकाशनार्थ भिजवाया जा रहा है। अतः चुनाव के संबंध में अग्रिम कार्यवाही राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार की जावे।

- संलग्न:- 1. आदेश की प्रति।
2. प्रपत्र- क, ख, ग एवं नक्शा

(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट संयुक्त सचिव

क्रमांक एफ.10() (आम चुनाव) डीएलबी/21/2682-2688 दिनांक: 3/11/2021
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर राजस्थान।
3. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय जयपुर।
4. जिला कलक्टर/जिला निर्वाचन अधिकारी, अलवर को भेजकर निवेदन है कि संबंधित अधिसाषी अधिकारी नगर पालिका लक्ष्मणगढ (अलवर) को वार्ड परिसीमांकन प्रस्ताव का नियमानुसार मिलान किया जाकर राज. राजपत्र में प्रकाशन कराया जाना सुनिश्चित कर अनुपालना रिपोर्ट से सचिव राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय को शीघ्र अवगत कराने हेतु निर्देशित किया जावे।
5. निदेशक/अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राज.जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशन करने हेतु उक्त नगरीय निकाय के अनुमोदित आदेश मय प्रपत्र क, ख, एवं नक्शा की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

दिनांक: 3/11/2021

क्रमांक एफ.10() (आम चुनाव) डीएलबी/21/2680

अधिसाक्षी अधिकारी,
नगरपालिका,
बानसूर (अलवर)।

विषय :- वार्डों के प्रारूप के अनुमोदन पश्चात् अन्तिम प्रकाशन के संबंध में।

नगरपालिका चुनावों के संदर्भ में आप द्वारा प्रेषित नगरपालिका बानसूर जिला अलवर के वार्डों का परिसीमांकन संबंधी प्रारूप एवं उन पर प्राप्त आपत्तियों के संबंध में टिप्पणियों पर विचार के उपरान्त आप द्वारा प्रस्तावित वार्डों के परिसीमांकन प्रारूप को राज्य सरकार ने अनुमोदित कर दिया है। राजस्थान नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के अनुसार इन आदेशों का प्रकाशन राजपत्र में कराये जाने हेतु इसे निदेशक/अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को प्रकाशनार्थ भिजवाया जा रहा है। अतः चुनाव के संबंध में अग्रिम कार्यवाही राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार की जावे।

संलग्न:- 1. आदेश की प्रति।
2. प्रपत्र- क, ख, ग एवं नक्शा

५

(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट संयुक्त सचिव

क्रमांक एफ.10() (आम चुनाव) डीएलबी/21/2681-2686 दिनांक: 3/11/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर राजस्थान।
3. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय जयपुर।
4. जिला कलक्टर/जिला निर्वाचन अधिकारी, अलवर को भेजकर निवेदन है कि संबंधित अधिसाक्षी अधिकारी नगर पालिका बानसूर (अलवर) को वार्ड परिसीमांकन प्रस्ताव का नियमानुसार मिलान किया जाकर राज. राजपत्र में प्रकाशन कराया जाना सुनिश्चित कर अनुपालना रिपोर्ट से सचिव राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय को शीघ्र अवगत कराने हेतु निर्देशित किया जावे।
5. निदेशक/अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राज.जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशन करने हेतु उक्त नगरीय निकाय के अनुमोदित आदेश मय प्रपत्र क, ख, एवं नक्शा की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

क्रमांक एफ.10() (आम चुनाव) डीएलबी/21/2672

अधिसाक्षी अधिकारी,
नगरपालिका,
उच्चैन (भरतपुर)।

विषय :- वार्डों के प्रारूप के अनुमोदन पश्चात् अन्तिम प्रकाशन के संबंध में।

नगरपालिका चुनावों के संदर्भ में आप द्वारा प्रेषित नगरपालिका उच्चैन जिला भरतपुर के वार्डों का परिसीमांकन संबंधी प्रारूप एवं उन पर प्राप्त आपत्तियों के संबंध में टिप्पणियों पर विचार के उपरान्त आप द्वारा प्रस्तावित वार्डों के परिसीमांकन प्रारूप को राज्य सरकार ने अनुमोदित कर दिया है। राजस्थान नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के अनुसार इन आदेशों का प्रकाशन राजपत्र में कराये जाने हेतु इसे निदेशक/अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को प्रकाशनार्थ भिजवाया जा रहा है। अतः चुनाव के संबंध में अग्रिम कार्यवाही राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार की जावे।

संलग्न:- 1. आदेश की प्रति।
2. प्रपत्र- क, ख, ग एवं नक्शा



(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट संयुक्त सचिव

क्रमांक एफ.10() (आम चुनाव) डीएलबी/21/2673-2679 दिनांक: 3/11/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त, भरतपुर राजस्थान।
3. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय जयपुर।
4. जिला कलक्टर/जिला निर्वाचन अधिकारी, भरतपुर को भेजकर निवेदन है कि संबंधित अधिसाक्षी अधिकारी नगर पालिका उच्चैन (भरतपुर) को वार्ड परिसीमांकन प्रस्ताव का नियमानुसार मिलान किया जाकर राज. राजपत्र में प्रकाशन कराया जाना सुनिश्चित कर अनुपालना रिपोर्ट से सचिव राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय को शीघ्र अवगत कराने हेतु निदेशित किया जावे।
5. निदेशक/अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राज. जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशन करने हेतु उक्त नगरीय निकाय के अनुमोदित आदेश मय प्रपत्र क, ख, एवं नक्शा की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
6. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

दिनांक: 3/11/21

क्रमांक एफ.10() (आम चुनाव) डीएलबी/21/2653

अधिशायी अधिकारी,
नगरपालिका,
सीकरी (भरतपुर)।

विषय :- वार्डों के प्रारूप के अनुमोदन पश्चात् अन्तिम प्रकाशन के संबंध में।

नगरपालिका चुनावों के संदर्भ में आप द्वारा प्रेषित नगरपालिका सीकरी जिला भरतपुर के वार्डों का परिसीमांकन संबंधी प्रारूप एवं उन पर प्राप्त आपत्तियों के संबंध में टिप्पणियों पर विचार के उपरान्त आप द्वारा प्रस्तावित वार्डों के परिसीमांकन प्रारूप को राज्य सरकार ने अनुमोदित कर दिया है। राजस्थान नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के अनुसार इन आदेशों का प्रकाशन राजपत्र में कराये जाने हेतु इसे निदेशक/अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को प्रकाशनार्थ भिजवाया जा रहा है। अतः चुनाव के संबंध में अग्रिम कार्यवाही राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार की जावे।

संलग्न:- 1. आदेश की प्रति।
2. प्रपत्र- क, ख, ग एवं नक्शा

(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट संयुक्त सचिव

क्रमांक एफ.10() (आम चुनाव) डीएलबी/21/2654-2661 दिनांक: 3/11/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त, भरतपुर राजस्थान।
3. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय जयपुर।
4. जिला कलक्टर/जिला निर्वाचन अधिकारी, भरतपुर को भेजकर निवेदन है कि संबंधित अधिशायी अधिकारी नगर पालिका सीकरी (भरतपुर) को वार्ड परिसीमांकन प्रस्ताव का नियमानुसार मिलान किया जाकर राज. राजपत्र में प्रकाशन कराया जाना सुनिश्चित कर अनुपालना रिपोर्ट से सचिव राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय को शीघ्र अवगत कराने हेतु निर्देशित किया जावे।
5. निदेशक/अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राज.जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशन करने हेतु उक्त नगरीय निकाय के अनुमोदित आदेश मय प्रपत्र क, ख, एवं नक्शा की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक एफ.10() (आम चुनाव) डीएलबी/21/2663

दिनांक: 3/11/2021

अधिसूची अधिकारी,
नगरपालिका,
अटारू (बांरा)।

विषय :- वार्डों के प्रारूप के अनुमोदन पश्चात् अन्तिम प्रकाशन के संबंध में।

नगरपालिका चुनावों के संदर्भ में आप द्वारा प्रेषित नगरपालिका अटारू जिला बांरा के वार्डों का परिसीमांकन संबंधी प्रारूप एवं उन पर प्राप्त आपत्तियों के संबंध में टिप्पणियों पर विचार के उपरान्त आप द्वारा प्रस्तावित वार्डों के परिसीमांकन प्रारूप को राज्य सरकार ने अनुमोदित कर दिया है। राजस्थान नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के अनुसार इन आदेशों का प्रकाशन राजपत्र में कराये जाने हेतु इसे निदेशक/अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को प्रकाशनार्थ भिजवाया जा रहा है। अतः चुनाव के संबंध में अग्रिम कार्यवाही राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार की जावे।

संलग्न:- 1. आदेश की प्रति।

2. प्रपत्र- क, ख, ग एवं नक्शा

(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट संयुक्त सचिव

क्रमांक एफ.10() (आम चुनाव) डीएलबी/21/2664 - 2670 दिनांक: 3/11/2021
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।

2. संभागीय आयुक्त, कोटा राजस्थान।

3. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय जयपुर।

4. जिला कलक्टर/जिला निर्वाचन अधिकारी, बांरा को भेजकर निवेदन है कि संबंधित अधिसूची अधिकारी नगर पालिका अटारू (बांरा) को वार्ड परिसीमांकन प्रस्ताव का नियमानुसार मिलान किया जाकर राज. राजपत्र में प्रकाशन कराया जाना सुनिश्चित कर अनुपालना रिपोर्ट से सचिव राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय को शीघ्र अवगत कराने हेतु निर्देशित किया जावे।

5. निदेशक/अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राज.जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशन करने हेतु उक्त नगरीय निकाय के अनुमोदित आदेश मय प्रपत्र क, ख, एवं नक्शा की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

6. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

दिनांक: 3/11/2021

क्रमांक एफ 10() (आम चुनाव) डीएलबी / 21/2762

अधिसाक्षी अधिकारी,
नगरपालिका,
सपोटरा (करौली)।

विषय :- वार्डों के प्रारूप के अनुमोदन पश्चात् अन्तिम प्रकाशन के संबंध में।

नगरपालिका चुनावों के संदर्भ में आप द्वारा प्रेषित नगरपालिका सपोटरा जिला करौली के वार्डों का परिसीमांकन संबंधी प्रारूप एवं उन पर प्राप्त आपत्तियों के संबंध में टिप्पणियों पर विचार के उपरान्त आप द्वारा प्रस्तावित वार्डों के परिसीमांकन प्रारूप को राज्य सरकार ने अनुमोदित कर दिया है। राजस्थान नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के अनुसार इन आदेशों का प्रकाशन राजपत्र में कराये जाने हेतु इसे निदेशक/अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को प्रकाशनार्थ भिजवाया जा रहा है। अतः चुनाव के संबंध में अग्रिम कार्यवाही राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार की जावे।

- संलग्न:- 1. आदेश की प्रति।
2. प्रपत्र- क, ख, ग एवं नक्शा

(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट संयुक्त सचिव

क्रमांक एफ.10() (आम चुनाव) डीएलबी / 21/2763-2768 दिनांक: 3/11/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त, भरतपुर राजस्थान।
3. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय जयपुर।
4. जिला कलक्टर/जिला निर्वाचन अधिकारी, करौली को भेजकर निवेदन है कि संबंधित अधिसाक्षी अधिकारी नगर पालिका सपोटरा (करौली) को वार्ड परिसीमांकन प्रस्ताव का नियमानुसार मिलान किया जाकर राज. राजपत्र में प्रकाशन कराया जाना सुनिश्चित कर अनुपालना रिपोर्ट से सचिव राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय को शीघ्र अवगत कराने हेतु निर्देशित किया जावे।
5. निदेशक/अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राज.जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशन करने हेतु उक्त नगरीय निकाय के अनुमोदित आदेश मय प्रपत्र क, ख, एवं नक्शा की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

7-10/11

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक एफ.10() (आम चुनाव) डीएलबी/21/2714

दिनांक: 3/11/2021

अधिसाधी अधिकारी,

नगरपालिका,

लालगढ-जाटान (श्रीगंगानगर)।

विषय :- वार्डों के प्रारूप के अनुमोदन पश्चात् अन्तिम प्रकाशन के संबंध में।

नगरपालिका चुनावों के संदर्भ में आप द्वारा प्रेषित नगरपालिका लालगढ-जाटान जिला श्रीगंगानगर के वार्डों का परिसीमांकन संबंधी प्रारूप एवं उन पर प्राप्त आपत्तियों के संबंध में टिप्पणियों पर विचार के उपरान्त आप द्वारा प्रस्तावित वार्डों के परिसीमांकन प्रारूप को राज्य सरकार ने अनुमोदित कर दिया है। राजस्थान नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के अनुसार इन आदेशों का प्रकाशन राजपत्र में कराये जाने हेतु इसे निदेशक/अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को प्रकाशनार्थ भिजवाया जा रहा है। अतः चुनाव के संबंध में अग्रिम कार्यवाही राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार की जावे।

संलग्न:- 1. आदेश की प्रति।

2. प्रपत्र- क, ख, ग एवं नक्शा

(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट संयुक्त सचिव

क्रमांक एफ.10() (आम चुनाव) डीएलबी/21/2715-2720 दिनांक: 3/11/2021
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त, बीकानेर राजस्थान।
3. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय जयपुर।
4. जिला कलक्टर/जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजकर निवेदन है कि संबंधित अधिसाधी अधिकारी नगर पालिका लालगढ-जाटान (श्रीगंगानगर) को वार्ड परिसीमांकन प्रस्ताव का नियमानुसार मिलान किया जाकर राज. राजपत्र में प्रकाशन कराया जाना सुनिश्चित कर अनुपालना रिपोर्ट से सचिव राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय को शीघ्र अवगत कराने हेतु निर्देशित किया जावे।
5. निदेशक/अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राज.जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशन करने हेतु उक्त नगरीय निकाय के अनुमोदित आदेश मय प्रपत्र क, ख, एवं नक्शा की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

Handwritten signature/initials

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक एफ.10() (आम चुनाव) डीएलबी/२१/२६५५

दिनांक: ३/११/२०२१

अधिशायी अधिकारी,
नगरपालिका,
बस्सी (जयपुर)।

विषय :- वार्डों के प्रारूप के अनुमोदन पश्चात् अन्तिम प्रकाशन के संबंध में।

नगरपालिका चुनावों के संदर्भ में आप द्वारा प्रेषित नगरपालिका बस्सी जिला जयपुर के वार्डों का परिसीमांकन संबंधी प्रारूप एवं उन पर प्राप्त आपत्तियों के संबंध में टिप्पणियों पर विचार के उपरान्त आप द्वारा प्रस्तावित वार्डों के परिसीमांकन प्रारूप को राज्य सरकार ने अनुमोदित कर दिया है। राजस्थान नगरपालिका निर्वाचन नियम, १९९४ के अनुसार इन आदेशों का प्रकाशन राजपत्र में कराये जाने हेतु इसे निदेशक/अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को प्रकाशनार्थ भिजवाया जा रहा है। अतः चुनाव के संबंध में अग्रिम कार्यवाही राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार की जावे।

संलग्न:- १. आदेश की प्रति।


२. प्रपत्र- क, ख, ग एवं नक्शा


(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट संयुक्त सचिव

क्रमांक एफ.१०() (आम चुनाव) डीएलबी/२१/२६५५-२६५७ दिनांक: ३/११/२०२१
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

१. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
२. संभागीय आयुक्त, जयपुर राजस्थान।
३. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय जयपुर।
४. जिला कलक्टर/जिला निर्वाचन अधिकारी, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि संबंधित अधिशायी अधिकारी नगर पालिका बस्सी को वार्ड परिसीमांकन प्रस्ताव का नियमानुसार मिलान किया जाकर राज. राजपत्र में प्रकाशन कराया जाना सुनिश्चित कर अनुपालना रिपोर्ट से सचिव राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय को शीघ्र अवगत कराने हेतु निदेशित किया जावे।
५. निदेशक/अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राज. जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशन करने हेतु उक्त नगरीय निकाय के अनुमोदित आदेश मय प्रपत्र क, ख, एवं नक्शा की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
६. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

दिनांक: 3/11/2021

क्रमांक एफ.10() (आम चुनाव) डीएलबी/21/2722

अधिशायी अधिकारी,
नगरपालिका,
बसेडी (धौलपुर)।

विषय :- वार्डों के प्रारूप के अनुमोदन पश्चात् अन्तिम प्रकाशन के संबंध में।

नगरपालिका चुनावों के संदर्भ में आप द्वारा प्रेषित नगरपालिका बसेडी जिला धौलपुर के वार्डों का परिसीमांकन संबंधी प्रारूप एवं उन पर प्राप्त आपत्तियों के संबंध में टिप्पणियों पर विचार के उपरान्त आप द्वारा प्रस्तावित वार्डों के परिसीमांकन प्रारूप को राज्य सरकार ने अनुमोदित कर दिया है। राजस्थान नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के अनुसार इन आदेशों का प्रकाशन राजपत्र में कराये जाने हेतु इसे निदेशक/अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को प्रकाशनार्थ भिजवाया जा रहा है। अतः चुनाव के संबंध में अग्रिम कार्यवाही राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार की जावे।

- संलग्न:- 1. आदेश की प्रति।
2. प्रपत्र- क, ख, ग एवं नक्शा

(दीपक मन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट संयुक्त सचिव

क्रमांक एफ.10() (आम चुनाव) डीएलबी/21/2723-2728 दिनांक: 3/11/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त, भरतपुर राजस्थान।
3. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय जयपुर।
4. जिला कलक्टर/जिला निर्वाचन अधिकारी, धौलपुर को भेजकर निवेदन है कि संबंधित अधिशायी अधिकारी नगर पालिका बसेडी (धौलपुर) को वार्ड परिसीमांकन प्रस्ताव का नियमानुसार मिलान किया जाकर राज. राजपत्र में प्रकाशन कराया जाना सुनिश्चित कर अनुपालना रिपोर्ट से सचिव राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय को शीघ्र अवगत कराने हेतु निर्देशित किया जावे।
5. निदेशक/अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राज.जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशन करने हेतु उक्त नगरीय निकाय के अनुमोदित आदेश मय प्रपत्र क, ख, एवं नक्शा की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

IT cell

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक एफ.10() (आम चुनाव) डीएलबी/21/2698

दिनांक: 3/11/2021

अधिशायी अधिकारी,
नगरपालिका,
रामगढ (अलवर)।

विषय :- वार्डों के प्रारूप के अनुमोदन पश्चात् अन्तिम प्रकाशन के संबंध में।

नगरपालिका चुनावों के संदर्भ में आप द्वारा प्रेषित नगरपालिका रामगढ जिला अलवर के वार्डों का परिसीमांकन संबंधी प्रारूप एवं उन पर प्राप्त आपत्तियों के संबंध में टिप्पणियों पर विचार के उपरान्त आप द्वारा प्रस्तावित वार्डों के परिसीमांकन प्रारूप को राज्य सरकार ने अनुमोदित कर दिया है। राजस्थान नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के अनुसार इन आदेशों का प्रकाशन राजपत्र में कराये जाने हेतु इसे निदेशक/अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को प्रकाशनार्थ भिजवाया जा रहा है। अतः चुनाव के संबंध में अग्रिम कार्यवाही राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार की जावे।

- संलग्न:- 1. आदेश की प्रति।
2. प्रपत्र- क, ख, ग एवं नक्शा


(दीपक निन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट संयुक्त सचिव

क्रमांक एफ.10() (आम चुनाव) डीएलबी/21/2699-2704 दिनांक: 3/11/2021
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर राजस्थान।
3. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय जयपुर।
4. जिला कलक्टर/जिला निर्वाचन अधिकारी, अलवर को भेजकर निवेदन है कि संबंधित अधिशायी अधिकारी नगर पालिका रामगढ (अलवर) को वार्ड परिसीमांकन प्रस्ताव का नियमानुसार मिलान किया जाकर राज. राजपत्र में प्रकाशन कराया जाना सुनिश्चित कर अनुपालना रिपोर्ट से सचिव राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय को शीघ्र अवगत कराने हेतु निर्देशित किया जावे।
5. निदेशक/अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राज.जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशन करने हेतु उक्त नगरीय निकाय के अनुमोदित आदेश मय प्रपत्र क, ख, एवं नक्शा की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
6. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

दिनांक: 3/11/2021

क्रमांक एफ.10() (आम चुनाव) डीएलबी/21/2706

अधिशायी अधिकारी,
नगरपालिका,
पावटा-प्रागपुरा(जयपुर)।

विषय :- वार्डों के प्रारूप के अनुमोदन पश्चात् अन्तिम प्रकाशन के संबंध में।

नगरपालिका चुनावों के संदर्भ में आप द्वारा प्रेषित नगरपालिका पावटा- प्रागपुरा जिला जयपुर के वार्डों का परिसीमांकन संबंधी प्रारूप एवं उन पर प्राप्त आपत्तियों के संबंध में टिप्पणियों पर विचार के उपरान्त आप द्वारा प्रस्तावित वार्डों के परिसीमांकन प्रारूप को राज्य सरकार ने अनुमोदित कर दिया है। राजस्थान नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के अनुसार इन आदेशों का प्रकाशन राजपत्र में कराये जाने हेतु इसे निदेशक/अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को प्रकाशनार्थ भिजवाया जा रहा है। अतः चुनाव के संबंध में अग्रिम कार्यवाही राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार की जावे।

- संलग्न:- 1. आदेश की प्रति।
2. प्रपत्र- क, ख, ग एवं नक्शा

★

(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट संयुक्त सचिव

क्रमांक एफ.10() (आम चुनाव) डीएलबी/21/2707-2712 दिनांक: 3/11/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर राजस्थान।
3. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय जयपुर।
4. जिला कलक्टर/जिला निर्वाचन अधिकारी, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि संबंधित अधिशायी अधिकारी नगर पालिका पावटा-प्रागपुरा(जयपुर) को वार्ड परिसीमांकन प्रस्ताव का नियमानुसार मिलान किया जाकर राज. राजपत्र में प्रकाशन कराया जाना सुनिश्चित कर अनुपालना रिपोर्ट से सचिव राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय को शीघ्र अवगत कराने हेतु निदेशित किया जावे।
5. निदेशक/अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राज.जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशन करने हेतु उक्त नगरीय निकाय के अनुमोदित आदेश मय प्रपत्र क, ख, एवं नक्शा की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

IT all.

d/All letter mu.